कार्यालय अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान

अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षेत्र, जयपुर

फोन नं॰ 0141–2702818 **ई–मेलः pccf.cwlw.forest@rajasthan.gov.in**

F 16(1)Ex-Gratia/WLM/CWLW/2026/E-File-02093/ Jaipur, Dated:- As Per Sign

निमित्त

संभागीय मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर / जोधपुर / उदयपुर / बीकानेर / कोटा / अजमेर / भरतपुर।
मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव), जयपुर / जोधपुर / उदयपुर।
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाई माधोपुर / सरिस्का बाघ परियोजना, अलवर / मुकन्दरा हिल्स बाघ परियोजना, कोटा।

विषयः– राष्ट्रीय उद्यान / वन्यजीव अभयारण्यों अथवा उसके बाहर वन्यजीवों द्वारा जनहानि व घायल के लिये संशोधित की गई मुआवजा की राशि बाबत्।

संदर्भः–राजस्थान सरकार, वन विभाग के राजकाज रेफरेंस 21375255 दिनांक 02.04.26

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा राष्ट्रीय उद्यान / वन्यजीव अभयारण्यों अथवा उसके बाहर वन्यजीवों द्वारा जनहानि व घायलों के लिये मुआवजा राशि संशोधित की गई है।

उक्त संबंधित संदर्भित पत्र की प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है। मुआवजा दिये जाने की शर्तें पूर्वानुसार रहेंगी। उक्त संदर्भित आदेश यथाहस्ताक्षर दिनांक 02.04.2026 से प्रभावी होगा।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

(के.सी.ए. अरूण प्रसाद)
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान

F 16(1)Ex-Gratia/WLM/CWLW/2026/E-File-02093/ Jaipur, Dated:- As Per Sign

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. **समस्त उप वन संरक्षक** (प्रादेशिक / वन्यजीव)।
2. **समस्त उप वन संरक्षक एवं उप क्षेत्र निदेशक।**

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक,
राजस्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Kotapatu Chinnapan Albert Arun Prasad
Designation : Additional Principal Chief Conservator of Forest (APCCF)
Date: 2026.04.06 14:30:36 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 21414614

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प.11(1)वन/1978 जयपुर, दिनांकः

–::<u>आदेश</u>::–

इस कार्यालय के समसंख्यक आदेश क्रमांक प.11(1)वन/1978 जयपुर, दिनांकः 10.11.2022 के अनुसरण में एकल ई–पत्रावली क्रमांक एफ 3(2)Part-1/CWLW/2014-02093-Part File (2)-8510164 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावानुसार राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभयारण्यों अथवा उसके बाहर वन्यजीवों द्वारा जनहानि व घायलों के प्रकरणों में मुआवजा की दरों को निम्नानुसार संशोधित करने की राज्य सरकार की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती हैः–

शेष प्रावधान यथावत लागू रहेंगे।

क्र. सं.	श्रेणी	प्रकार	मुआवजा राशि (रूपये में)	विशेष टिप्पणी
1	जन श्रेणी	1. व्यक्ति की मृत्यु अथवा स्थायी अक्षमता पर, (Death or Permanent incapacitation to human beings)	10,00,000	सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी होने की शर्त पर
		2. व्यक्ति की गहरी/गंभीर चोट होने पर, (Grievous injury)	2,00,000	
		3. व्यक्ति को मामूली चोट होने पर, (Minor injury)	25,000	

यह मुआवजा भुगतान निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रभावी रहेगाः–

1. विभाग द्वारा इस मद में अब तक व्यय की गई राशि का संपूर्ण पुनर्भरण केन्द्र सरकार से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विभाग द्वारा राशि व्यय करते समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, तत्संबंधी नियमों, परिपत्रों एवं निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
3. विभाग द्वारा इस संबंध में वांछित आवश्यक दिशा–निर्देश स्वयं के स्तर से तैयार कर उन्हें सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर प्रभावी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

यह स्वीकृति वित्त (व्यय–3) विभाग की आई.डी. संख्या 172600031 दिनांक 27.03.2026 से प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की जाती है।

(बिजो जॉय)

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन विभाग

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान, जयपुर।
3. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, जयपुर।
7. वित्तिय सलाहकार, वन भवन, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

विशिष्ठ शासन सचिव,
वन विभाग

Signature Not Verified

Digitally Signed by Bijo Joy
Designation : Special
Secretary To Government
Date :02-04-2026 02:56:55

RajKaj Ref No.:
21375255

eSign DSC

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
अरण्य भवन, झालाना संस्थानिक क्षैत्र, राजस्थान जयपुर

फोन नम्बर: 0141–2700151 ई–मेल:cwlw.raj@gmail.com

क्रमांक एफ 03(02)पार्ट–1/व॰जी॰प्र॰/मुवजीप्र/2014/ 8129-41 दिनांक 29/11/2022

निमित्त,

मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/अजमेंर/कोटा/उदयपुर/
भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव, जोधपुर/जयपुर/उदयपुर/
मुख्य वन संरक्षक एवं क्षेत्र निदेशक,
रणथम्भौर बाघ परियोजना, सवाईमाधोपुर/सरिस्का बाघ परियोजना, मु॰ अलवर
मुकन्दरा हिल्स टाईगर, रिजर्व, कोटा।

विषयः– राष्ट्रीय उधान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवो द्वारा जनहानि व घायल एवं पशु धन हानि के लिये संशोधित की गई मुआवजा की दरो बाबत।

प्रसंगः– शासन सचिव, वन सचिवालय राजस्थान जयपुर के पत्रांक प॰11(1)वन/1978 जयपुर, दिनांक 10.11.2022 के सम्बंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय उधान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर वन्य जीवो द्वारा जनहानि व घायल एवं पशु धन हानि के मुआवजा की दरों में संशोंधन के सम्बंध में सन्दर्भित पत्र, की प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु सलंग्न प्रेषित हैं एवं मुआवजा दिये जाने की शर्ते पूर्वानुसार रहेगी।
सलंग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(अरिन्दम तोमर)
प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं
मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक,
राजस्थान जयपुर

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक प0 11(1) वन/1978 जयपुर, दिनांकः– 10 नवम्बर, 2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ)
राजस्थान, जयपुर।

विषयः–राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों अथवा उसके जीवों द्वारा जनहानि व घायल एवं पशुधन हानि के लियें संशोधित की गई मुआवजा की दरो बाबत्।

संदर्भः– आपकी एकल पत्रावली कमांक एफ. 03(02)पार्ट–1/व.जी.प्र./मुवजीप्र/2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रावली द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के क्रम में राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्यों में अथवा उसके बाहर जीवों द्वारा जनहानि व घायल एवं पशु धन हानि के लिये मुआवजा की वर्तमान दरों को निम्नानुसार संशोधित करने की सहमति प्रदान की जाती हैः–

क. सं.	श्रेणी	प्रकार	पूर्व की मुआवजा राशि	विभागीय प्रस्तावित नवीन दरें	वित्त विभाग द्वारा सहमत दरे	विशेष टिप्पणी
1	जन श्रेणी	1.जनहानि होने पर	4,00,000	5,00,000	5,00,000	सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र जारी होने की शर्त पर
		2.स्थाई अयोग्य होने पर	2,00,000	2,50,000	☆ 3,00,000	
		3.अस्थाई अयोग्य होने पर	40,000	50,0000	50,000	
2.	पालतू मवेशियों की श्रेणी	1.भैंस व बैल	20,000	25,000	25,000	
		2.गाय	10,000	12,500	12,500	
		3.भैंस व गाय का बच्चा	4,000	5,000	5,000	
		4.बकरी/बकरा व भेंड	2,000	3,000	3,000	
		5.ऊँट	20,000	25,000	25,000	
		6./खच्चर	2,000	3,000	3,000	

☆ विभागीय प्रस्तावित राशि 2.50 लाख के विरूद्ध 3.00 लाख वित्त विभाग की सहमति "मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना में" प्रावधित प्रावधान के दृष्टिगत की गई है।

यह मुआवजा भुगतान निम्न शर्तो के अध्यधीन प्रभावी रहेगाः–

1. विभाग द्वारा राष्ट्रीय उद्यान/वन्यजीव अभ्यारण्य क्षेत्र हेतु मुआवजा/एक्सग्रेशिया राशि में केन्द्रीय प्रवर्तित योजना के अनुसार केन्द्रांश प्राप्त किया जाना तथा अब तक व्यय राशि हेतु शेष पुनर्भरण केन्द्र सरकार से वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।
2. विभाग इस मद में अब तक व्यय की गई राशि का संपूर्ण पुर्नभरण केन्द्र सरकार से प्राप्त करना सुनिश्चित करेगा।
3. विभाग राशि को व्यय करते समय राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशा निर्देशों, तत्संबंधी नियमों, परिपत्रों एवं निर्धारित प्रकिया की पूर्ण पालना करने अपने स्तर पर किया जाना सुनिश्चित करेगा।

4. इस संबंध में वांछित आवश्यक दिशा–निर्देश विभाग स्वयं के स्तर से तैयार कर उन्हे सक्षम स्तर से अनुमोदित कराकर प्रभावी किया जाना सुनिश्चित करेगा।

उक्त स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 102202749 दिनांक 21.06.2022 तथा 172201239 दिनांक 27.10.2022 के अनुसरण में प्रदान की जाती है।

राज्य में अन्य स्थानों पर वन्यजीवों द्वारा जनहानि एवं घायल होने पर तथा पशुधन की हानि के लिए राज्य निधि से मुआवजे/एक्सग्रेशिया हेतु संबंधित बजट मद में प्रावधित राशि 275.00 करोड़ के विरूद्ध आदिनांक व्यय राशि एवं वर्ष 2022–23 हेतु आवश्यक रूप वित्त विभाग को अवगत कराने का श्रम करावें।

भवदीय,

(वेंकटेश शर्मा)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. प्रधान महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय–3) विभाग।
3. संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग।
4. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग।
5. परियोजना निदेशक, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास परियोजना, फेज–II, अरावली भवन को उनकी एकल पत्रावली 11(28)PD/AFD /Society /2022-23 मय स्वीकृति के आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
6. वित्तीय सलाहकार, वन भवन, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

(सुरेश अग्रवाल)
विशेषाधिकारी, वन